उत्तर प्रदेश शासन
संसदीय कार्य अनुभाग-1,
संख्या-1083/90-सं-1-2015-6 सं/2015,
लखनऊ दिनांक 21 सितम्बर, 2015.

कार्यालय-ज्ञाप

अधोस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संसदीय कार्य अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश सचिवालय में स्थापित रिको इण्डिया लि0, लखनऊ की फोटो स्टेट मशीन माडल एफिसियो एम0पी0 4000 बी (मशीन सीरियल नं0 एम 5416430031) के लिए, किये गये एग्रीमेन्ट के अनुसार रिको इण्डिया द्वारा दिनांक 08-07-2015 से दिनांक 06-08-2015 तक का मैनटेनेन्स चार्ज का प्रस्तुत बिल/बाउचर दिनांक 13-08-2015 की धनराशि रू0 3,247-81 को पूर्णांकित करते हुए रू0 3,248/- (रूपये तीन हजार दो सौ अड़तालिस मात्र) का भुगतान रिको इण्डिया लि0, सी-3/87-89, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- "उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-78 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक- "2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-सचिवालय-47-कम्प्यूटर अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।"

3- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान रिको इण्डिया लि0, सी-3/87-89, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ के स्टेट बैंक आफ इण्डिया, विक्रमादित्य मार्ग, हिमांशु सदन, लखनऊ स्थित खाता संख्या-10027820225 में जमा किया जायेगा।

अब्दुल शाहिद
प्रमुख सचिव।

संख्या-1083(1)/90-सं-1-2015-6 सं/2015, तद्वदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ (लेखा प्रकोष्ठ के माध्यम से)।
(3) रिको इण्डिया लि0, सी-3/87-89, विभूति खण्ड, गोमीनगर, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोल्लिखित अपने बैंक शाखा का नाम व खाता संख्या की पुष्टि उ0प्र0 सचिवाल के बहुखण्डी भवन (तृतीय तल) स्थित न्याय अनुभाग-8 (लेखा प्रकोष्ठ) में लिखित रूप से तुरन्त करने का कष्ट करें ताकि भुगतान की कार्यवाही की जा सके।
(4) न्याय अनुभाग-8 (लेखा प्रकोष्ठ) को 2 अतिरिक्त प्रतियों में (मूल बिल/बाउचर सहित)।
(5) सचिवालय प्रशासन अनुभाग-9 (विविध)।
(6) सचिवालय प्रशासन (बजट सेल) अनुभाग।
(7) गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,
जगदीश
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।